पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org
PTCUL

पत्रांकः 1650 / मा0सं0एवंप्र0वि0 / पिटकुल / पी–3 दिनांकः 28.11.2017

कार्यालय ज्ञाप

पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् एवं निगम के ऐसे सेवानिवृत्त / मृत कार्मिक जिन्हें राज्य सरकार की भांति सेवानिवृत्तक / पारिवारिक पेंशन संबंधी लाभों का भुगतान कोषागार के माध्यम से किया जा रहा है, को दिनांक 01.01.2016 से तथा उसके पश्चात् सेवानिवृत्त / मृत कार्मिकों के पेंशनरी लाभों / देयकों का निर्धारण / भुगतान उत्तराखण्ड शासन के आदेश सं0 266 / 45 / xxvii(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 एवं शासनादेश संख्या 267 / 45 / xxvii (10)/2016दिनांक 30.12.2016 के अनुरूप उत्तराखण्ड शासन के कोषागारों से किया जायेगा।

आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा भुगतान किये जा रहे पेंशन / पारिवारिक पेंशन के अन्तर की धनराशि को उत्तराखण्ड शासन के आदेश संख्या 267 / 45 / xxvii(10)/2016 दिनांक 30.12.2016 के अनुरूप दिनांक 01–01–2016 से पेंशन / पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण एवं उसके भुगतान की कार्यवाही शासनादेश के अनुसार सम्बन्धित आहरण–वितरण अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

संलग्नकः–शासनादेशसंख्या 266 दिनांक 30.12.2016 एवं
सं0 267 दि0 30.12.2016

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 1650 / मा0सं0एवंप्र0अनु0 / पिटकुल / पी–3 तददिनांकः
प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सहायक–प्रबन्ध निदेशक, पिटकुल को प्रबन्ध निदेशक महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (परियोजना) / (परिचालन) / (वित्त) पिटकुल, देहरादून।
3. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर–I/II) / समस्त महाप्रबन्धक, पिटकुल.............................।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता / समस्त उपमहाप्रबन्धक, पिटकुल.............................।
6. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल को इस आशय से प्रेषित कि कृपया विषयगत् आदेश को आज ही निगम की वेबसाईट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
7. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल.............................।
8. कट फाइल।

(आशीष कुमार)
निदेशक (मा0सं0)

संख्याः–266/45/XXVII(10)/2016

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

वित्त अनुभाग–10 देहरादून : दिनांक : 30, दिसम्बर, 2016

विषयः– **सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर केन्द्र सरकार द्वारा लिए गये निर्णयों के कम में वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों को स्वीकार किए जाने के फलस्वरूप दिनांक 01.01.2016 को अथवा इसके पश्चात् सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को पेंशन/ग्रेच्युटी/पारिवारिक पेंशन एवं राशिकरण की प्रक्रिया में संशोधन।**

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय पर अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के प्रथम प्रतिवेदन भाग–एक में पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स की पेंशन, ग्रैच्युटी तथा पेंशन राशिकरण के सम्बन्ध में की गयी संस्तुतियों को संकल्प संख्या–289/xxvii(7)/2016 दिनांक 30, दिसम्बर, 2016 द्वारा स्वीकार करते हुए उक्त से संबंधित अन्य प्रक्रियाओं को यथावत रखते हुए राज्य सरकार के सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के पेंशन/पारिवारिक पेंशन/ग्रैच्युटी एवं पेंशन राशिकरण के नियमों एवं दरों को निम्न प्रकार संशोधित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। यह आदेश **दिनांक 01.01.2016** से प्रभावी समझे जाएगें।

2– यह आदेश राज्य सरकार के सभी सिविल पेंशनरों तथा पारिवारिक पेंशनरों पर (जो उत्तर प्रदेश पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनिफिट रूल्स, 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना 1965 शासनादेश संख्या–सा–3–969/दस–923/85 दिनांक 08.08.1986 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–सा–3–1720/दस–308–97 दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 के अन्तर्गत स्वीकृत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं) लागू समझे जायेंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों, दिनांक 01 अक्टूबर, 2005 से लागू नई

यदि कोई सेवक उत्तराखण्ड राज्य सरकार से एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहा है व समस्त पेंशन की धनराशि जोड़कर न्यूनतम रू0 9000/– से कम हो, तो तब न्यूनतम पेंशन रू0 9000/– निर्धारित की जायेगी।

ऐसे पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स जिन्हें राज्य सरकार से भिन्न पेंशन अनुमन्य हैं, के प्रकरण में न्यूनतम पेंशन निर्धारण हेतु उक्तानुसार अनुमन्य पेंशन की धनराशि को संज्ञान में नहीं लिया जायेगा।

6– 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के राजकीय पेंशनर्स/पारिवारिक पेंशनर्स को 01.01.2016 से अनुमन्य पेंशन पर निम्नानुसार अतिरिक्त पेंशन कार्यालय ज्ञाप निर्गत होने की तिथि से अनुमन्य कराया जायः–

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन में वृद्धि
80 वर्ष से 85 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत
85 वर्ष से 90 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत
90 वर्ष से 95 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत
95 वर्ष से 100 वर्ष से कम तक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत
100 वष या उससे अधिक	मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत

उपरोक्तानुसार अतिरिक्त पेंशन का भुगतान करने हेतु पेंशन वितरण प्राधिकारी द्वारा पेंशन प्राधिकार–पत्र में अनिवार्य रूप से पेंशन/पारिवारिक पेंशनर्स की अतिरिक्त पेंशन का अलग से उल्लेख किया जायेगा तथा पारिवारिक पेंशनर्स द्वारा अपनी आयु की पुष्टि हेतु अभिलेख आदि पेंशन स्वीकृर्ताधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। पेंशन स्वीकृत करने वाले अधिकारी पेंशन प्राधिकार पत्र में मूल पेंशनर्स एवं पारिवारिक पेंशनर्स की आयु की प्रविष्टि तत्काल प्रभाव से प्रारम्भ करेंगे।

7– <u>पेंशन की अनुमन्यता हेतु अर्हकारी सेवा–</u>

(1) 10 वर्ष से कम की अर्हकारी सेवा होने पर पेंशन अनुमन्य नहीं होगी तथा ऐसी स्थिति में पूर्व की भांति केवल सर्विस ग्रैच्युटी अनुमन्य होगी।

(2) 20 वर्ष की सेवा पर पूर्ण पेंशन अनुमन्य होगी।

(3) 20 वर्ष या इससे अधिक की सेवा पर अंतिम माह के अंतिम दिवस में आहरित वेतन

(क) ऐसे सरकारी सेवक जिनकी सेवाकाल में मृत्यु हो जाती है, के परिवार को मृत्यु की तिथि से 10 वर्ष की अवधि तक बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन अनुमन्य होगी। इस हेतु कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं होगी।

(ख) पेंशनर की मृत्यु की दशा में बढ़ी हुई दरों पर पारिवारिक पेंशन का लाभ दिवंगत पेशनर की मृत्यु की तिथि से 7 वर्ष अथवा दिवंगत पेंशनर की आयु 67 वर्ष होने, जो भी पहले हो, तक अनुमन्य होगा।

(2) पारिवारिक पेंशन की अनुमन्यता हेतु ''परिवार'' की परिभाषा पूर्ववत समय–समय पर जारी शासनादेशों के अन्तर्गत यथावत है।

10– <u>पेंशन के एक भाग का राशिकरण–</u> पेंशन के एक निर्धारित भाग अर्थात 40 प्रतिशत तक की धनराशि का राशिकरण संशोधित दरों पर अनुमन्य होगा। राशिकृत भाग का पुनर्स्थापन पूर्व की भांति पी0पी0ओ0 निर्गत होने के 03 माह बाद अथवा भुगतान की तिथि, जो भी पहले हो, से 15 वर्ष की अवधि पूर्ण होने की तिथि के ठीक अगली तिथि से होगा।

11– इन आदेशों के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि पर महँगाई राहत की गणना राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशानुसार की जायेगी।

12– पुनरीक्षित पेंशन का दिनांक 01 जनवरी, 2017 से नकद भुगतान किया जायेगा एवं दिनांक 01 जनवरी, 2016 से पुनरीक्षित वेतनमान के आधार पर आगणित पेंशन एवं ग्रैच्युटी की दिनांक 01 जनवरी, 2016 से 31 दिसम्बर, 2016 तक की देयता के भुगतान के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा पृथक से आदेश जारी किये जायेंगे।

13– दिनांक 01 जनवरी, 2016 के बाद सेवा त्यागने/कर्मचारी की मृत्यु होने के प्रकरणों में नकद भुगतान किया जायेगा।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव, वित्त